राजस्व प्रा० प्र० सं० 84/2025

नाड़ मोहम्मद वगै० बनाम अब्दुल लतीफ वगै०

धारा-212 RTA

6/10/25

वकील प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण स्वयं उपस्थित।
प्रार्थीगण ने मूल वाद में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत, ~~पंजीयन~~ कर वाद इसी स्तर पर निस्तारित करने का निवेदन करते पर मूल वाद जरिये निस्तारित खारिज किया जा चुका है। मूल वाद जरिये निस्तारित खारिज होने से इस अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना-पत्र को चलाने का कोई आधार नहीं रह गया है एवं प्रार्थना-पत्र सारहीन हो गया है। अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना-पत्र भी मूल वाद के साथ जरिये निस्तारित खारिज किया जाता है। प्रार्थना-पत्र पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर